रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2013/माघ 18, 1934
No. 312] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2013/MAGHA 18, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2013

का.आ. 336(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा ।। के अधीन जारी की गई भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खण्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के 93.000 कि.मी. से 479.000 कि.मी. (हरियाणा/ उत्तर प्रदेश सीमा – कानपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3,5,11 से 14 तक के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 894 (अ), तारीख 31 मार्च,2009 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के 219.00 कि.मी. से 250.500 कि.मी. तक के चार लेन के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर अनुसूची मे विनिर्दिष्ट दरों और विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 894 (अ), तारीख 31 मार्च, 2009 का अधिक्रमण करते हुए, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर 199.660 कि.मी. से 250.533 कि.मी. तक (आगरा-माखनपुर सेक्शन) चार या अधिक लेन के खण्ड के उपयोग के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त खण्ड' संदर्भित किया गया है) सड़क की निवल लम्बाई 50.873 कि.मी. हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आधार दर' संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

सारणी 1

यान का प्रकार	*आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपये में)*
(1)	*(2)*
कार,जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	*0.65*
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	*1.05*
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	*2.20*
वाणिज्यिक वाहन (तीन धुरी वाले)	*2.40*
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी)	*3.45*
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	*4.20*

टिप्पणियां :

1. नीचे उदग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क ऐसे टोल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा :

(क) आरओबी के पूरा होने से पहले

IndiaCode

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	*लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है*
किमी / चैनेज 225.000 (फिरोजाबाद जिले में टुण्डला गांव के पास)	49.873 कि.मी.

(ख) आरओबी के पूरा होने से बाद

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	*लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है*
किमी / चैनेज 225.000 (फिरोजाबाद जिले में टुण्डला गांव के पास)	50.873 कि.मी.

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहा हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) प्रतिमाह होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

3. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो

उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होगी ।

7. उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार शुल्क की दरों में वार्षिक रूप से संशोधन किया जाएगा ।

9 परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 365.45 करोड़ रूपए है । प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद, लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और इनमें उक्त नियमों के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा । 31.03.2012 तक की गई उगाही से उपभोक्ताशुल्क के रूप मे कुल 63.95 करोड़ रूपए की वसूली की गई है ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/318/07-08/सीएमडी-सीओ/जीसी-आगरा (199.66 कि.मी.-250.50 कि.मी.)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2013

S.O. 336(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport(Roads Wing) number S.O 78 (E) dated 04th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 93.000 to kilometer 479.000 (Haryana/Uttar Pradesh Border to Kanpur section) of National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with rules 3,5 and 11 to 14 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 894(E), dated the 31st March, 2009, authorized the National Highways Authority of India for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of four-laned stretch from kilometer 219.00 to kilometer 250.500 of National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh at the rates and category of vehicle specified in its schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification bearing no. S.O. 894(E), dated the 31st March, 2009, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 50.873 Km (hereinafter referred to as "base rate"), for use of four and more lane section from kilometer 199.660 to kilometer 250.533 (Agra - Makhanpur Section) on the National Highway No. 2 (hereinafter referred to as the "said Stretch") in the State of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

515 901/13-2

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza(s):

(A) Before completion of the ROB

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 225.000 (near Tundla village in Firozabad district)	49.873 kilometer

(B) After completion of the ROB

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 225.000 (near Tundla village in Firozabad district)	50.873 kilometer

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 365.45 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A total of rupee 63.95 crores has been recovered from the user fee realized till 31.12.2012.

[F. No. NHAI/13013/318/07-08/CMD-CO/GC-Agra (199.66 km.-250.50 km.)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.